हापुड़ पुलिस

प्रेस नोट

थाना - सिम्भावली **दिनांक 27.09.2024**

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त व प्रभावी पैरवी करते हुए गैर-इरादतन हत्या के आरोपी को *10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1.10 लाख रुपये के अर्थदण्ड* से दण्डित कराया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

वर्ष 2019 में अभियुक्त द्वारा ग्राम बक्सर में शादी-समारोह में हर्ष फायरिंग की गई थी जिसमें ग्राम बक्सर निवासी मुस्कान पुत्री इन्तजार घायल हुई थी जिसकी दौराने उपचार मृत्यु हो गई थी। जिसके सम्बन्ध में थाना सिम्भावली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त असलहा के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था व ***करीब 40 दिनों में आरोप पत्र*** मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

कार्यवाहीः-

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे ***"ऑपरेशन कन्विक्शन"*** अभियान में चिन्हित अभियोगों (पॉक्सो व जघन्य अपराध) में आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाये जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा ***थाना सिम्भावली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 349/2019 धारा 304 भादवि व मु0अ0सं0 370/2019 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट मामले में*** मा0 न्यायालय में सशक्त व प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गई, जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 27.09.2024 को ***मा0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश हापुड़*** द्वारा ***गैर-इरादतन हत्या के आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1.10 लाख रुपये के अर्थदण्ड*** से दण्डित किया गया है।

सिद्धदोष अपराधी का नाम व पताः-

शानू उर्फ जावेद पुत्र कल्लन निवासी मौ0 कैला भट्टा निकट रमजानी होटल थाना कोतवाली नगर जनपद गाजियाबाद।